न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 28/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/114

1. श्री रामसिंह पिता भंवरसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री उदयसिंह पिता अर्जुनसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
2. श्रीमती रतनकुंवर पत्नी अर्जुनसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
3. नाबालिग कोमल पुत्री नाहरसिंह राजपूत संरक्षक माता रोडीकुंवर निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
4. नाबालिग दर्पनकुंवर पुत्री नाहरसिंह राजपूत संरक्षक माता रोडीकुंवर निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
5. नाबालिग प्रेमकुंवर पुत्री नाहरसिंह राजपूत संरक्षक माता रोडीकुंवर निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
6. नाबालिग सुमन पुत्री नाहरसिंह राजपूत संरक्षक माता रोडीकुंवर निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
7. श्रीमती रोडी कुंवर पत्नी नाहरसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
8. श्री अनोपसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
9. श्री जयसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
10. श्री डुल्हेसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
11. श्रीमती भंवरकुंवर पत्नी तेजसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
12. श्री मानसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
13. श्री दिपेन्द्रसिंह पिता सवसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
14. श्री भूपेन्द्रसिंह पिता सवसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
15. श्री लोकेन्द्रसिंह पिता सवसिंह राजपूत निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
16. श्रीमती प्रेमकुंवर पुत्री तेजसिंह राजपूत निवासी रठाना, डोडियावास तहसील घासा।
17. श्री रोडा पिता देवा भील निवासी भील बस्ती, फला देबारी तहसील गिर्वा।
18. श्रीमती शान्ता पत्नी किशनलाल लौहार निवासी पिपरोली, नूरडा तहसील घासा।
19. श्रीमती सुजरकुंवर पत्नी भंवरसिंह राजपूत निवासी सेरावतों का वाडा देबारी तहसील गिर्वा।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार घासा, जिला–उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री जयेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नुरडा के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1201, 1202, 1203, 1916/1203 किता 4 कुल रकबा 1.6106 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज हैं।
2. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि परिशिष्ट क में वर्णित प्रार्थी की आराजी नम्बर 1201, 1202, 1203, 1916/1203 के पूर्व में आराजी नम्बर 1204 किस्म रास्ता (विपक्षी संख्या 20 राजस्थान सरकार), पश्चिम में आराजी नम्बर 1713/804, आराजी नम्बर 804 (विपक्षी संख्या 20 राजस्थान सरकार) एवं आराजी नम्बर 1832/804 (विपक्षी संख्या 17 रोडा भील), उत्तर में आराजी नम्बर 1869/802 (विपक्षी संख्या 1 से 7), आराजी नम्बर 801 (विपक्षी संख्या 20 राजस्थान सरकार) एवं आराजी नम्बर 1871/801 (विपक्षी संख्या 8 से 15) एवं दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 1196, 1197, 1199 (विपक्षी संख्या 20 राजस्थान सरकार) एवं 1188 (विपक्षी संख्या 18 व 19) जो सभी विपक्षीगण के नाम खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं।
3. यह कि उक्त वर्णित प्रार्थी के खातदेारी की कृषि भूमि के चारो दिशाओं में विपक्षीगण की कृषि भूमि होने से विपक्षीगण संख्या 20 को छोडकर अन्य सभी विपक्षीगण संख्या 1 से 19 जानबुझकर प्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से लडाई झगडा करते है। विपक्षीगण प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि में दखलन्दाजी करते है तथा बाड पाली की मरम्मत करने के बहाने प्रार्थी की जमीन की तरफ बढ जाते है तथा सीमा के स्थाई निशान नहीं होने से सीमा बाबत् विवाद करते है, प्रार्थी व उसके परिवारजनों को प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमि पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देते है व प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा प्रार्थी द्वारा की गई बाड पाली व बाड पाली में खडे वृक्षों को भी नुकसान पहुंचाते है और विपक्षी संख्या 1 से 19 धीरे धीरे प्रार्थी की जमीन की ओर बढते हुए प्रार्थी की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे है, जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार नहीं हैं।
4. यह कि प्रार्थी के खातेदारी की उक्त जमीन पर प्रार्थी काबिज है, और प्रार्थी अपने परिवार सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहे है लेकिन प्रार्थी के खातेदारी की जमीन के चारो दिशाओं के मुडौसी विपक्षी संख्या 1 से 19 आए दिन मुझ प्रार्थी को जलील व परेशान करते है तथा प्रार्थी के जमीन के चारो मुडौसी प्रार्थी की बाड पाली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

को नुकसान पहुंचाते है व विपक्षीगण हर समय सीमा को लेकर विवाद करते है एवं विपक्षीगण प्रार्थी को डरा धमका कर प्रार्थी की जमीन को हडपना चाह रहे है व प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है व प्रार्थी की बाड पाली में खडे वृक्षों को भी अनाधिकृत रूप से काटने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी को अपनी उक्त कृषि भूमि के चारो दिशाओं की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश हैं।

5. यह कि प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 18.03.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगणों ने प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद किया जब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।
6. अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगणों के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान किया जावे कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात के चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर सीमांकन कराया जावे ताकि विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, न नुकसान पहुंचावे, न प्रार्थी की बाड पाली में खडे वृक्षों को काटे, प्रार्थी को अपनी खातेदारी की आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा प्रार्थी की आराजीयात की जब तक सीमा जानकारी होकर पत्थरगढी नहीं हो जावे तब तक विपक्षीगण प्रार्थी की आराजीयात में प्रवेश नहीं करे, न प्रार्थी की बाड पाली को कोई नुकसान पहुंचावे, प्रार्थी को उनकी खातेदारी आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावें साथ ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि विपक्षीगणों के कब्जे में पाई जावे तो उसका कब्जा भी प्रार्थी को दिलाया जावें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 20 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा।
8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहॅुचें है कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 302 पर दर्ज आराजी नम्बर 1201, 1202, 1203, 1916/1203 किता 4 कुल रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी हकूक से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Runadia
Date: 2025.01.31 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा पिपरोली पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 302 पर दर्ज आराजी नम्बर 1201, 1202, 1203, 1916/1203 किता 4 कुल रकबा 1.6106 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.01.31 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested